सं.डब्ल्यू- 02/0038/2019-लोउवि(मजूरी कक्ष)- जीएल-XVIII/19

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स ,
लोधी रोड नई दिल्ली – 110 003,
दिनांक: 13 सितंबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ' अनियत कामगारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ' : उस पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के संबंध में

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और साथ ही कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 सितंबर , 2019 के का.ज्ञा. सं.49014/1/2017- स्थापना (सी) (खण्ड) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज) द्वारा नियोजित अनियत कामगार / दैनिक मजदूर के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को लागू किया जा रहा है :

i. ऐसे मामले जहां, अनियत कामगारों और नियमित कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति समान है, अनियत कामगारों को एक दिन में 8 घण्टे के कार्य के लिए मंहगाई भत्ता सहित संबंधित वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन के 1/30 की दर पर भुगतान किया जाए।

ii. ऐसे मामले जहां, अनियत कामगारों द्वारा किया गया कार्य नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य से भिन्न है वहां अनियत कामगार को श्रम एंव रोजगार मंत्रालय अथवा राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिसूचित केवल न्यूनतम मजदूरी, जो भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार उच्चतम होगी, का भुगतान किया जाए।

iii. दैनिक मजदूर (अनियत कामगार) को नियमित प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

3. सीपीएसईज के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय /विभाग

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था. -III- ए , शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली।
6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(नरेश कुमार)
अवर सचिव